जेंडर

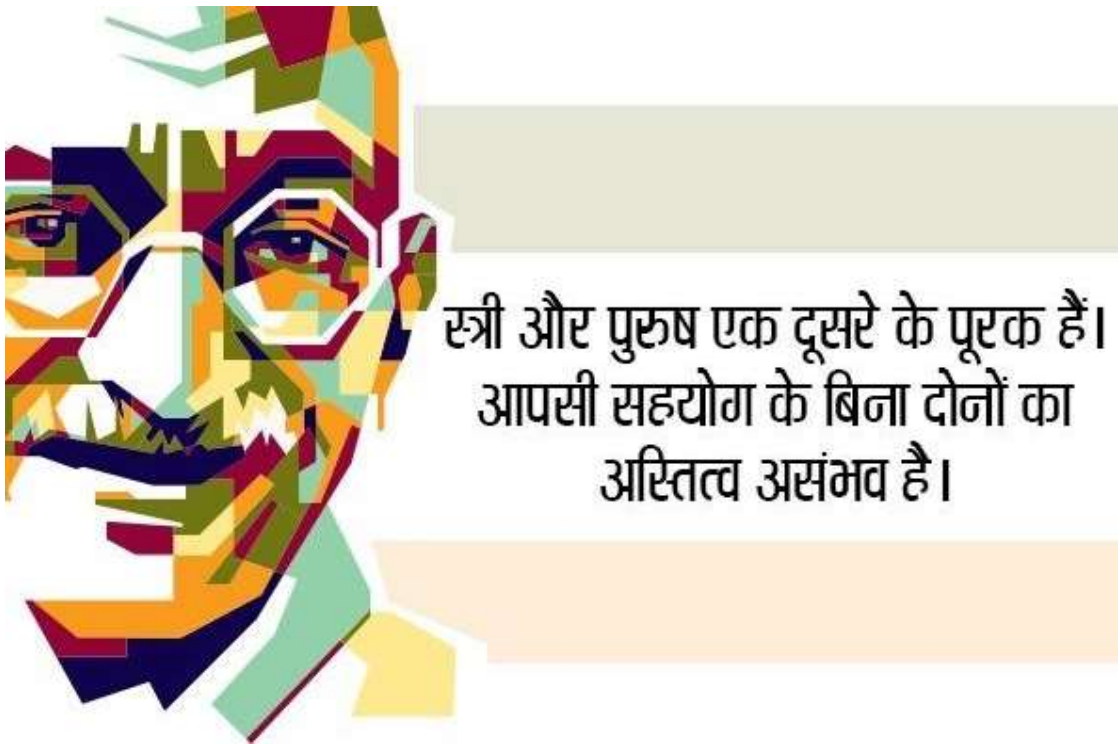

जेंडर समानता तथा जेंडर संवेदनशीलता में शिक्षकों की भूमिका हेतु माड्यूल।

द्वारा– रोजा संस्थान जनपद वाराणसी।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का दायित्व बच्चों को केवल विषय का ज्ञान देकर ही पूर्ण नही हो पाता है। बच्चों को संस्कार देना, उनमें मूल्यों का विकास भी शिक्षक को करना है। परस्पर सद्भाव, मिल–जुल कर काम करना, संवेदनशीलता आदि कितने ही मूल्यों का विकास अत्यंत सहजता तथा सरलता के साथ सीखने–सिखाने की प्रक्रिया के दौरान किया जा सकता है। मूल्य न तो जबरन थोपे जा सकते है और न ही रातों–रात विकसित किए जा सकते है बच्चे मूल्य आत्मसात कर सकें इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को इन्हें अनुभव करने के अवसर दिए जाएँ, उनके साथ ऐसी बातचीत की जाए कि वे मूल्य ग्रहण कर सकें। जेंडर का मुद्दा पूरी मानवता का मुद्दा है। बचपन से ही नन्हें बच्चों में जेंडर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाए तो स्वस्थ मानसिकता लेकर ही बच्चे विकसित होंगे। इसलिए विद्यालयी शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्यालय में अनेकानेक गतिविधियाँ के माध्यम से बच्चो में जेंडर के मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता का विकास किया जा सकता पाठ्यपुस्तकों में बच्चों में जेंडर के मुद्दे के प्रति समानता की सोच का विकास करने वाली विषय–सामग्री का समावेश हो तो निश्चित रूप से स्वस्थ मानसिकता लेकर बच्चों का विकास होगा।

जेंडर समानता

जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक विषय है, जो लिंग से अलग है लिंग जन्म के समय निर्धारित जैविक विशेषताएं जैसे कि गुणसूत्र, हार्मोन, और शारीरिक बनावट के रूप में परिभाषित है। जबकि सामाज द्वारा निर्धारित भूमिकाएं, व्यवहार और विशेषताएं जिन्हें पुरूषों, महिलाओं और अन्य लैगिंक पहचानों से जोडा जाता है।

आखिर क्या है लैंगिक समानता– लैंगिक समानता क्या है, आखिर क्यों यह किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया है, लैगिंक समानता का सीधा संबध महिला और पुरूष के समान अधिकार, दायित्व, तथा रोजगार के अवसर के परिप्रेक्ष्य में है।

लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र–

लैगिंक समानता के विभिन्न क्षेंत्रों की बात करे तो खासतौर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र के साथ साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र व खेल के क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रो में लैगिंक समानता प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। इस खाई को पुरा करने के लिए मीलों का सफर करना होगा हम सिर्फ इस पर चर्चा ही नही अपितु इसके कारणों के समाधान को तलाशने की आवश्यकता है।

भारत में लैगिंक समानता

प्राचीन–मध्यकालीन भारत

भारतीय समाज सदियों से देवियों की पूजा करता रहा है। सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, काली आदि की पूरे भारत व विश्व के कई कोनों मे पूजा की जाती है। हालॉकि वैदिक काल से ही पितृसत्तामक व्यवस्था प्रचलित है। जहां रीति– रिवाजों और परंपराओं में पुरूषों को अधिक मान्यता दी गयी है। जबकि भारतीय इतिहास मे गार्गी, मैत्रेयी और सुलभा जैसी कई विलक्षण महिलाओं का उल्लेख मिलता है। जिनकी तर्क शक्ति सामान्य पुरूषों की तुलना में अधिक है फिर भी प्राचीन काल से ही महिलायें भेदभाव का सामना करती रही है और महिलाएं चुपचाप रही है।

स्वतंत्रता के समय

गांधी जी द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन मे महिलाओं की सामूहिक लामबंदी और भागीदारी पर विशेष जोर दिया ताकि उन्हें राजनैतिक, सामाजिक अधिकार प्राप्त हो सके

किशोरी बालिकाओं के परिदृश्य से जेंडर समानता

प्रत्येक बच्चें का अधिकार है कि उसकी क्षमता के विकास का पुरा मौका मिले लेकिन लैगिंग असमानता की कुरीति की वजह से वह ठीक से फल फूल नही पाते है साथ ही भारत में लडकियों और लडकों के बीच न केवल उनके घरों और समुदायों में बल्कि हर जगह लिंग भेद दिखाई देता है।

जेंडर के उदारण

जेडर भूमिका– समाज में पुरूषों और महिलाओं से अपेक्षित व्यवहार जैसे कि पुरूषों को मजबूत और स्वतंत्र होना चाहिए और महिलाओं को देखभाल करने वाली और सहयोगी होना चाहिए

जेंडर पहचान– व्यक्ति द्वारा स्वयं को पहचानने का तरीका, जैसे कि पुरूष, महिला, ट्रांसजेंडर।

जेंडर अभिव्यक्ति– व्यक्ति द्वारा अपने जेंडर को व्यक्त करने का तरीका, जैसे कि कपडें, बालों का स्टाइल, व्यवहार आदि।

समाज में जेंडर संतुलन लाने के लिए कई उपाय किए जा सकते है।

शिक्षा– लडकियों और लडकों दोनों को समान रूप से शिक्षित करने को प्रोत्साहित करे। पाठ्यक्रम में जेडर समानता और लैगिंक रूढिवादिता के बारे मे शिक्षा शामिल करें। शिक्षकों को जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें।

स्वास्थ्य–

महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करें। कुपोषण और एनिमिया जैसी समस्याओं से लड़कियों और महिलाओं को बचाकर, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाकर, आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को रोजगार के समान अवसर प्रदान करके, महिला उद्यमिता को बढाकर, महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करें, कानून और नीतियां, महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ सख्त कार्यवाई करें।

सामाजिक परिवर्तन–

जेंडर रूढिवादी को चुनौती देना, लडकों व लडकियों के बीच समान व्यवहार को बढावा देना, घर व समुदाय में लैगिंक समानता के मूल्यो को बढावा देना, मीडिया और मनोरंजन उद्योग में जेडर संवेदशील सामग्री को बढावा देना।

जागरूकता अभियान–

जेडर समानता के बारे मे जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाना, समुदाय के लोगो को शिक्षित करना, मीडिया व सोशल मीडिया का उपयोग करना व बेहतर संदेश देना।

जेंडर संवेदनशीलता में शिक्षक की भूमिका

भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्म, जाति, वर्ग और लिंग आदि आधारों पर सबकों समानता के अधिकार का प्रावधान है। स्वतंत्र भारत में बदलते समाज के साथ महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आया है। इससे समाज में स्त्री और पुरूषों के असमान स्तर को उचित करार कर दिया जाता है। जबकि लिंग संबंधी मत एक सोच की उत्पत्ति है जिसमें एक लिगं दूसरे पर इस मानसिकता के कारण हावी होता है। यह स्वाभाविक न समझकर एक चिंतन का विषय होना चाहिये, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में पुरूषत्व और स्त्रीत्व की परिभाषाएँ भी अलग–अलग होती हैं। लैंगिक मुद्दे केवल महिलाओं अथवा बालिकाओं के दमन या भेदभाव तक ही सीमित न होकर उन परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराओं से भी संबंधित है, जिनमें पुरूषों/लड़कों को भी एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है जैसे भावुकता, सहजता, को पुरूषों की कमजोरी और उग्रता एवं बहादुरी को पुरुषत्व का नाम देना आदि। यदि देखा जाये तो इन सब की शुरुआत हमारे समाज, जिसमें सर्वप्रथम बच्चे का परिवेश अर्थात् घर–परिवार, आस–पड़ोस एवं स्कूल शामिल है, अगर इन सभी मुद्दों के प्रति छोटी उम्र से ही बच्चों को सचेत किया जाए तो न केवल अपने घर अपितु समाज में भी इस संदेश को पहुँचाने में सक्षम हो सकते हैं। बड़े होकर वे एक ज़िम्मेदार एवं सजग भावी नागरिक होने के साथ–साथ सामाजिक बदलाव के एक अच्छे कार्यकर्ता भी बन

सकते हैं। आज के संदर्भ में यह और भी ज़रूरी है क्योंकि अन्य कई प्रयासों के बावजूद महिलाओं, किशोरियों, छोटी बच्चियों की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत ही दयनीय पाई गई है। यहाँ तक कि कन्या भ्रूण अवस्था में भी सुरक्षित नहीं हैं। जिसके किस्से अक्सर ही देखने–सुनने को मिल जाते है, फिर चाहे वह गाँव–कस्बा हो या महानगर।

शिक्षा व जेंडर संवेदनशीलता

शिक्षा एक ऐसी संस्था है जो समाज की अन्य सभी संस्थाओं को हर स्तर पर प्रमाणित करती है इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सतर्क, सक्रिय और सुनियोजित बदलाव लाने के लिए लिंग आधारित विभेदों को दूर कर समानता लाने की चुनौति का सामना किया जा सकता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा–2005 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''समानता की दिशा में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका यह समझी जाती है कि यह सभी शिक्षार्थियों को अपने अधिकारों की दिशा में सजग बनाए ताकि वे समाज व राजनीति में अपना योगदान कर सकें। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उन अधिकारों और सुविधाओं को तब तक लागू नही किया जा सकता जब तक केंद्रीय मानवीय क्षमताओं का विकास न हो जाए। इसलिए हाशिये पर धकेल दिए गए समाजों के विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों के लिए यह मुमकिन होना चाहिए कि वे अपने अधिकारों का दावा कर सकें। इसके लिए शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि वे असमान समाजीकरण के नुकसान की भरपाई कर सकें कि आगे चलकर के स्वायत्त और समान नागरिक बन सकें।'' विद्यालयी शिक्षा परिवार से शुरू हुई समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तार है। अतः शिक्षा व्यवस्था में उन मूलभूत परिवर्तनों को लाने की दिशा में गंभीर चिंतन और सुनियोजित कदम उठाने की आवश्यकता है जिनसे लैंगिक विभेदों को दूर कर एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सके।

शिक्षा के अधिकार की भूमिका

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 भी 6 से 14 साल तक के हर बच्चे के लिये ऐसी अनिवार्य शिक्षा की माँग करता है, जिससे न केवल उसका शारीरिक परंतु संपूर्ण मानसिक विकास भी हो। नेशनल फ़ोकस ग्रुप के पोज़ीशन पेपर 'जेंडर इश्यूज़ इन एजुकेशन' के अनुसार बच्चों में विभिन्न क्षमताओं खासतौर पर समालोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता आदि का विकास करने पर ज़ोर दिया गया है, जिससे उनका आत्मसम्मान और आत्मबोध की भावनाएँ जागृत हों। ऐसा भी कहा गया है कि बालिकाओं का सशक्तिकरण एक उत्पाद न होकर एक प्रक्रिया है जिसमें वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर एक स्वतंत्र मानव के रूप में अपना जीवन जी सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक कोर विषय है जिसके मुख्य उद्देश्य न केवल पर्यावरण (जिसमें प्राकृतिक, सामाजिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण शामिल हैं) संबंधी जानकारी तथा समझ बनाना है, बल्कि इससे जुड़े मुद्दे एवं सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता तथा इन्हें संबोधित करने के लिये उपयुक्त कौशलों से युक्त करने की क्षमता का विकास करना भी है। इनमें न्याय तथा समानता, मानव गरिमा, लिंगभेद और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता कुछ प्रमुख सरोकर हैं, इन सरोकारों को दृढ़तापूर्वक संबोधित करने के लिये पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और अन्य पाठ्य

सामाग्री की विशेष भूमिका है जिसे एक ज़िम्मेदार शिक्षक/शिक्षिका यदि अर्थपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करे तो बहुत हद तक बचपन से ही बच्चों को सचेत एवं संवेदनशील कर सकेंगे।

शिक्षक का भाषायी व्यवहार व जेंडर संवेदनशीलता

शिक्षक का भाषायी व्यवहार व जेंडर संवेदनशीलता विद्यालयों में बच्चों में जेंडर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास की दिशा में भी शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा अहम् भूमिका निभाती है। जेंडर का मुद्दा मानवता का मुद्दा है। हम सभी इस बात से सहमत है कि बचपन से ही बच्चों को जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों से दूर रखा जाए, उन्हें पढ़ने के लिये ऐसी सामग्री दी जाए जो कि जेंडर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक हो, सीखने–सिखाने की प्रक्रिया के दौरान ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाए जिनमें लड़के–लड़कियों सभी को समान रूप से भाग लेने के अवसर मिलें तो बच्चे जेंडर के संबंधी स्वस्थ मानसिकता के साथ बढ़ेगे। लेकिन क्या केवल पाठ्यपुस्तकों में ही नारी की सकारात्मक छवि विद्यालय में पढ़ने वाली नन्हीं बालिकाओं के हृदयों में आत्मविश्वास, भविष्य में कुछ करने की, आगे बढ़ने की ललक उत्पन्न कर सकती हैं। हम पाठ्य पुस्तकों के विकास के दौरान कितनी ही सावधानी क्यों न बरत लें, महिलाओं के योगदान की चर्चा पर पाठ भी शामिल कर लें। लेकिन शिक्षकों के भाषायी व्यवहार में निहित जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह जब तक दूर नहीं होंगे, बच्चों में जेंडर के मुद्दे को लेकर स्वस्थ मानसिकता विकसित कर सकें।

कुछ वाक्य जो बच्चों के लिए स्कूलों मे बोले जाते है–

- क्या लड़कियों की तरह सिर झुकाए खड़ा है?
- इन्हें देखो, कुछ कहो तो जनाब लड़कियों की तरह शरमाते है ?
- ए लडके तू क्या लड़की है, जो क्रीम लगाकर आता है। ये तो कुछ बानगियाँ है। वहीं पर केवल बालिकाओं वाले विद्यालयों में भी कुछ शिक्षिकाएँ बालिकाओं को संबोधित करते समय ऐसे–ऐसे जुमले कसती हैं कि कई बार शर्म से सिर झुक जाता है कि ऐसा भी होता है हमारे स्कूलों में। यह सोचकर कि क्या सभी स्कूलों में बच्चों से इसी प्रकार की भाषा में व्यवहार किया जाता है। शिक्षक/शिक्षिकाओं के इस प्रकार के संबोधन जेंडर सम्बन्धित है जिसका प्रभाव परोक्ष व अपरोक्ष रूप से बच्चों के उपर पड़ता है।

समाजिक ताना बाना और शिक्षक की भूमिका

आज भी हमारे समाज में कई घरों में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अगर विद्यालय में किसी बालिका की उपस्थिति नियमित न हो, वह अचानक विद्यालय आना बंद कर दे तो विद्यालय के शिक्षकों तथा प्रधानाचार्या का दायित्व बनता है कि वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर उस बालिका की आगे शिक्षा जारी रखने में सहायता करें। बाल–विवाह जैसी कुरीतियों तथा इसके दुष्प्रभावों से अभिभावको को जागरूक भी उनसे बातचीत द्वारा कराया जा सकता है।

पूर्वाग्रह व नवाचार

नन्हें बालक बड़े होकर लिंग आधारित पूर्वाग्रहों से मुक्त हों, इसके लिये ज़रूरी है कि उनसे समय समय पर यह भी चर्चा होती रहे कि वे अपनी बहनों का उनके कार्यों, पढ़ाई में कितना सहयोग करते हैं तथा उनकी बहनें उन्हें कितना सहयोग देती है। ऐसी चर्चाएँ निश्चित रूप से नन्हे बच्चों को कुछ सोचने–विचारने का मौका देकर समय आने पर सार्थक कदम उठाने को अवश्य प्रेरित करेंगी। बड़े होकर यह बालक भी तो भाई, पति, पिता आदि की भूमिकाओं में कई महत्वपूर्ण निर्णयों के भागीदार तथा ज़िम्मेदार होंगे। ज़ाहिर है कि किताबों में तो लिंग असमानता को दूर करने के ऐसे कई अवसर है परतुं किसी अध्यापक की इसमें क्या भूमिका हो ऐसा जानना भी अति आवश्यक है। एक अध्यापक ही कक्षा में सीखने–सिखाने को सही दिशा देतें है। उन्हें विशेष ध्यान देना होगा कि इन मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ कक्षा में किस प्रकार संबोधित करे ताकि वह किसी भी वर्ग के प्रति किसी भी तरह के पक्षपात या भेदभाव को जगह न दे। सर्वप्रथम वह खुद संवेदनशील हों और कक्षा में उन्हें औपचारिक रूप से बिना पूर्वाग्रह के सहज रूप से चर्चा करते हुए बच्चों को बिना किसी डर के अपनी राय देने के लिये प्रोत्साहित करें। कहीं भी अपनी राय बच्चों पर न थोपते हुए विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनें में कक्षा में हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करे। किसी की राय को सही या गलत न बताकर बल्कि बच्चों द्वारा ही चर्चा के माध्यम से अपेक्षित अधिगम की और बच्चों को प्रेरित करे। ये सभी कार्य एक शिक्षक तभी कर सकतें है जब वह दूसरों की भावनाओं और निर्णयों को सही प्रकार से समझ सके।

सांराश

जेंडर संवेदनशीलता का मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा है कि इस पर बच्चों को अलग से उपदेश देने की आवश्यकता है। कक्षा में सीखने–सिखाने की प्रक्रिया के दौरान ही अत्यंत सहजता से बच्चों में जेंडर संवेदनशीलता जाग्रत की जा सकती है। बस ज़रूरत है पाठ्य सामग्री को समझने की, अभ्यास तथा गतिविधियों के भरपूर उपयोग करने की तथा कक्षा में तथा कक्षा के बाहर लड़कियों और लड़को को समान अवसर देने की। घर से समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरूआत होती है। लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया की वे त्रुटियाँ जो घर में रह जाती है ं, उन्हे ं विद्यालय में दूर किया जा सकता है और इस कार्य में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मानव सेवा में समार्पित.....

“रोजा संस्थान”

पंजीकृत कार्यालय ककरमत्ता (निकट आर्दश बाल विद्यालय रोजा कालोनी)

पोस्ट–बी0एल0डब्लू जनपद–वाराणसी–221004

सम्पर्क नम्बर–9450156972

Email- rosasansthan@gmail.com,Web-www.rosanow.org